Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अधीक्षक अभियन्ता (सतर्कता) खनिज विभाग, उदयपुर के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में 3 ठिकानों पर छापे**
- **वैध आय से लगभग 512 प्रतिशत अधिक परिसम्पत्तियों का खुलासा**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की धौलपुर इकाई द्वारा दी गई सूत्र सूचना पर आज गुरूवार को ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुये योगेन्द्र सिंह सहवाल अधीक्षण अभियन्ता, (सतर्कता) खनिज भवन, उदयपुर के जयपुर, अजमेर, उदयपुर स्थित 3 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि राज्य सरकार की **"भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति व भ्रष्ट लोकसेवकों पर प्रभावी कार्रवाई"** के अनुसरण में ब्यूरो मुख्यालय द्वारा योगेन्द्र सिंह सहवाल, अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) खनिज भवन, उदयपुर के विरूद्ध सत्यापन किया जाकर आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का मामला बनना पाये जाने पर **प्रकरण संख्या 01/2022** दर्ज कर **अनुसंधान अधिकारी श्री मांगी लाल, उप अधीक्षक पुलिस स्पेशल यूनिट–द्वितीय, मुख्यालय जयपुर** के नेतृत्व में ब्यूरो की जयपुर, अजमेर, उदयपुर की चौकियों के सहयोग से टीमों का गठन किया जाकर आज सुबह उनके 3 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है।

ब्यूरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्राथमिक आकलन के अनुसार श्री योगेन्द्र सिंह सहवाल अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) खनिज भवन, उदयपुर द्वारा **लगभग 1.63 करोड** की परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी **वैध आय से 512 प्रतिशत अधिक** है। आरोपी अधिकारी द्वारा अपनी अवैध आय को जयपुर, अजमेर, उदयपुर में आवासीय/व्यावसायिक/भूखण्डों/फ्लैटों एवं म्यूचवल फण्ड, इन्श्योरेन्स आदि में निवेश करना ज्ञात हुआ है। सर्च के दौरान आरोपी का एक बैंक में लॉकर होने का भी पता चला है। योगेन्द्र सिंह सहवाल के विरूद्ध पूर्व में भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने पर अपराध संख्या 289/2014 पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके अलावा पद के दुरूपयोग के संबंध में दो प्रकरण संख्या 96/2001 एवं 97/2001 एसीबी में दर्ज हैं।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी जारी है। आरोपी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।